RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

No. RRVPNL/XEN/T&C/JSM/Tech./F. /D. 194 Dated 03/11/2021

श्रीमान उप वन संरक्षक,
जैसलमेर राजस्थान

विषय :– अनुपालना रिपोर्ट For Diversion of 0.122 hectare Forest Land for Construction of 132KV S/C Chandan to Mohangarh Transmission Line, Dist. Jaisalmer (Raj.)

संदर्भ :– शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1(67)वन / 2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ ( ) तकनिकी / उवसं / 2021–22 / 6761 दिनांक 03.11.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 132KV S/C Chandan to Mohangarh Transmission Line, Dist. Jaisalmer (Raj.) के ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/TRANS/44263/2020) हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रधान वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या प.1 (67) वन / 2021 दिनांक 01.11.2021 द्वारा शर्ताधीन जारी की जा चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य आवश्यक मदों में राशि 465561.00 रूपये राजस्थान कैम्पा के मद में जमा करायी जा चुकी है (प्रतिलिपि संलग्न है) व अन्य शर्तो की पालना हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

संदर्भित पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पूर्णतया बिन्दुवार पालना करेगा, जो कि निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
01	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ, वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
02	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
03	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हाँ, याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
04	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	हाँ, प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
05	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	हाँ, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
06	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कायरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	हाँ, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कायरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
07	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोटे / बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा।	हाँ, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोटे / बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा, इस हेतु 293536 रूपये ई–चालान से दिनांक 03.11.2021 को जमा करवा दी गई है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है) वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

08	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण काय के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	हाँ, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
09	This proposed transmission line is crossing perpendicularly the flying way of GIB. Proper mitigation measures for conservation of GIB may be undertaken.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गोडावण के संरक्षण हेतु लाईन बर्ड डायवर्टर/रिफलेक्टर लगाये जायेंगे, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफीकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	सक्षम स्तर से एफ.आर.ए. सर्टिफीकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	हाँ, प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि रूपये 118589/– वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा दिनांक 03.11.2021 को जमा करवा दी गई है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सर्जित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य रूपये 53436/– तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सर्जित ई–चालान द्वारा दिनांक 03.11.2021 को जमा करवा दी गई है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है)
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	हाँ, सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	हाँ, राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित किया जावें तथा	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित किया जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी

	प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। समाचार पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।
17	GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।	GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना सुनिश्चित कर निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत स्वीकृति प्रदान कराने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ व अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :–

01. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
02. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
03. श्रीमान संभागीय मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जोधपुर।
04. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर।
05. श्रीमान सहायक अभियन्ता–II (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 01 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 01 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 02 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 02 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 03 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचांई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 04 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 05 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 06 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 07 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 की अनुपालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 08 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 08 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 09 एवं 17 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 एवं 17 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा गोडावण के संरक्षण हेतु लाईन बर्ड डायवर्टर/रिफलेक्टर लगाये जायेंगे।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH, JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 11 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 11 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 14 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 14 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 15 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 15 की अनुपालना के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की पूर्णतया सहमति है।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(Corporate Identity Number CIN:U40109RJ2000SGC016485)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
REGD. OFFICE VIDYUT BHAWAN JANPATH,JYOTI NAGAR, JAIPUR-302005
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C) RVPN JAISALMER
E_mail-xen.cm.jaisalmer@rvpn.co.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

(शर्त संख्या 16 की अनुपालना में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1(67)वन/2021 जयपुर दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line हेतु 0.122 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 16 की अनुपालना के क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR JAISALMER

No. /Revenue/2021/ Dated: /06/2021

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ("FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non – forest purposes read with MoEF's letter dated 5thJuly 2013 wherein the MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.122 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited for construction of 132 KV S/C Chandan-Mohangarh Transmission Line in District Jaisalmer, State Rajasthan falls within jurisdiction of Jaisalmer.**

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.122 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level committee(s) the District Level Committee are enclosed as Annexure------1-----to-----2----- annexure.

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent on it. **Not Applicable.**

c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Place : Jaisalmer

Date : 25/06/2021

-sd-

(Ashish Modi)

District Collector

Jaisalmer

Dated : 28 /06/2021

No. /Revenue/2021/1862-1864

Copy forward to:-

1. DFO (IGNP-II), Jaisalmer
2. SDM, Jaisalmer
3. Superintending Engineer(T&C)RVPNL.,Jaisalmer.

Ashish

District Collector

Jaisalmer

Welcome : AO T AND C JAISSALMER (809438) Know More

Junior Accountant

You are here: / Reports / Query By Account

e-PayOrder Details

e-PayOrder Details

e-PayOrder Number	CNABROWIH1
Debit Status	Success

03-Nov-2021

Rajasthan Campa

Four Lakhs Sixty Five Thousand Five Hundred and Sixty One only 4,65,561.00

000000061322938833

JAISALMER SHIV MARG

Junior Accountant
MAKER
"CNABROWIH1"

Accounts Officer
Authorizer 1

Counterfoil Description	Forest demand
Transaction Type	NEFT Funds transfer
GSTIN Number	--

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
000000061322938833	JAISALMER SHIV MARG	4,65,561.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSCCode	Amount	Credit Status	UTR No.
Rajasthan Campa/150856444263313	NEW DELHI LODHI COMPLEX/NEW DELHI LODHI COMPLEX/UBIN0903710	4,65,561.00	Pending	SBIN221307023869

RAJASTHAN RAJYA VIDHYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur
O/o The Superintending Engineer (T&C) RVPNL JAISALMER
132 KV GSS PRIMISES, JAISALMER Website: www.rvpn.co.in.
PH.NO.02992-294550; email-se.tnc.jsl@rvpn.co.in

No.RRVPNL/SE/T&C/JSM/ Tech. /F. /D- 703 DT 3/11/2021

The Public relation Officer
RVPN, Jaipur

Sub- Publication of forest land diversion as issued by forest department

On the above cited subject the proposal No FP/RJ/TRANS/44263/2020 has accepted by the forest department and clearance for the diversion of 0.122 ha. of forest land in favour of Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited, Jaisalmer for construction of 132 KV S/C Chandan to Mohangarh line in Jaisalmer district is also issued.

Therefore you are requested to publish the above clearance of forest department in English & Hindi (each, one) newspaper. Matter is being sent for publication in Newspaper as under for the purpose of wide publicity:

1. One regional daily newspaper being published from Barmer district (In Hindi).
2. One state level newspaper being published in Rajasthan (In English).

Copies of cutting and relevant publication may please be sent to this office, copy of clearance as issued by forest department enclosed for reference.

Encl- as above

(D.S. Meena)
Superintending Engineer (T&C)
RVPN, Jaisalmer

Copy submitted/Forwarded to the following for information and n/a please.

1. The Zonal Chief Engineer (T&C) RVPNL, Jodhpur.
2. **The Chief Engineer (PP&D) RVPNL, Jaipur.**
3. **The Superintending Engineer (Contract-I & II) RVPNL, Jaipur**
4. **The Executive Engineer (T&C) RVPNL, Jaisalmer.**
5. **The Executive Engineer (PTCC) RVPNL, Jaipur.**
6. The Assistant Engineer-II(T&C) Jaisalmer.

Superintending Engineer (T&C)
(T&C) RVPN Jaisalmer

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान **RAJASTHAN**

BE 065073

शपथ–पत्र

Project Name : Diversion of 0.122 hectare Forest Land for Construction of 132KV S/C Chandan to Mohangarh Transmission Line, District - Jaisalmer, Rajasthan.

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/44263/2020

Applied Area : 0.122 Hectare

मैं जीत सिंह भाटी शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।

2. यह है कि मिकर राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड का Attorney Holder है।

3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एव रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियां एवं जीव जन्तुओं का किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एव उनके संरक्षण हेतु समस्त प्रयास किये जायेंगे, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कायरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा, इस हेतु 293536 रूपये ई–चालान से दिनांक 03.11.2021 को जमा करवा दी गई है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है) वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गोडावण के संरक्षण हेतु लाईन वर्ड डायवर्टर/रिफलेक्टर लगाये जायेंगे, वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

12. सक्षम स्तर से एफ.आर.ए. सर्टिफीकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।

13. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि रूपये 118589/– वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा दिनांक 03.11.2021 को जमा करवा दी गई है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है)

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य रूपये 53436/– तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सर्जित ई–चालान द्वारा दिनांक 03.11.2021 को जमा करवा दी गई है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है)

16. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

17. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

18. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित किया जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। समाचार पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।

19. GIB Arc के अन्तर्गत विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी, वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जैसलमेर

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM Ltd.
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER (Communication)
132 KV GSS Campus, JODHPUR ROAD, JAISALMER
E-Mail - AEN.COMM.JSL@rvpn.co.in Mob: 9413383152 Ph.02992 – 294977

No. /RRVPNL/AEn(Comm.)/ Jaisalmer/ F. / Estt. / Tech./D. 109 /Dt.09.11.2021

Certificate

The erection, commissioning and testing work for communication equipments on 132 kV Shri Mohangarh (newly constructed GSS) - Chandhan S/C, both end of line has been completed on dated 08.11.2021, & results are for end to end testing found as per norms.

09.11.21
(A.K.Bhatia)
Assistant Engineer (Comm)
RVPN Jaisalmer

Copy submitted to the following for kind information and necessary operation.

1. The Superintending Engineer (Comm) RVPN Jodhpur.
2. The Executive Engineer (Comm) / C&M RVPN Jodhpur / Jaisalmer.

-sd-
Assistant Engineer (Comm)
RVPN Jaisalmer